अति महत्वपूर्ण

संख्या- 10/2025/ 114 /सैतालीस-का-5-2025-(1838120)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : **23-02-2025**

विषयः- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करायें जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1/2025/614/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 17-12-2024, अनुस्मारक संख्या- 18/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 24.01.2025 एवं शासनादेश संख्या- 07/2025/23/सैतालीस-का-5-2025-(1838120), दिनांक 06.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी कार्मिक तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / उपक्रमों के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार 15.02.2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत करते हुए यह निर्देश भी दिये गये है कि निर्धारित समयावधि में अपना सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी तथा सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के प्रोन्नति के प्रकरणों पर एक चयन वर्ष के उपरान्त ही नियमानुसार विचार किया जाएगा।

2- उल्लेखनीय है कि पोर्टल की दिनांक 20.02.2025 की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि पोर्टल पर कुल पंजीकृत 833510 कार्मिकों के सापेक्ष कुल 689826 कार्मिकों (कुल पंजीकृत कार्मिकों का मात्र 83 प्रतिशत) द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया है। यह स्थिति कदापि संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी कार्मिकों तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / उपक्रमों के कार्मिकों को एक अवसर और प्रदान करते हुए दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 15.02.2025 से बढ़ाकर दिनांक 28.02.2025 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- कृपया पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों की संख्या / डाटा की शुद्धता विभाग स्तर पर समीक्षा करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कार्यालयों का सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

5- उपरोक्त के क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 28.02.2025 तक अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों का ही मार्च, 2025 का वेतन आहरित किया जाएगा। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
एम० देवराज
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in